



Neutral Citation No. -2026: AHC:126034

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 18891/2026

ऋषभ

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....विपक्षी पक्षकार

आवेदक के अधिवक्ता	: अनीता सिंह, आयुष मिश्रा, प्रेम बाबू वर्मा, योगेन्द्र मिश्रा
विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता	: महेन्द्र त्रिपाठी, शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या- 5

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री योगेन्द्र मिश्रा एवं श्रीमती अनीता सिंह तथा राज्य की ओर से श्री सी.एस. सरन, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता तथा प्रथम सूचनाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता, श्री महेन्द्र त्रिपाठी को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक को वाद अपराध संख्या 242/2026, अंतर्गत धारा 137(2), 87, 65(1) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4(2) पॉक्सो अधिनियम, थाना-शिकोहाबाद, जनपद-फिरोजाबाद में विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में मिथ्या रूप से फँसाया गया है तथा उसके विरुद्ध कोई आपत्तिजनक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि एफ.आई.आर. के अनुसार, आवेदक पर प्रथम सूचनाकर्ता की दो पुत्रियों को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है, किन्तु, दोनों पीड़िताएँ बरामद हो चुकी हैं तथा उन्होंने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। आवेदक दिनांक 07.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यदि, उसे जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
4. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का ज़ोरदार विरोध किया, किन्तु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके, तथापि, यह प्रस्तुत किया गया कि पीड़िताओं ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज अपने बयान में कहा है कि आवेदक ने उनके साथ

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



शारीरिक संबंध स्थापित किए थे तथा दोनों पीड़िताओं की आयु लगभग 15 वर्ष 8 माह है तथा वे नाबालिग हैं, अतः, उनकी सहमति विधिक दृष्टि से महत्वहीन है।

5. एफ.आई.आर. के अनुसार, आवेदक द्वारा प्रथम सूचनाकर्ता की दो पुत्रियों को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप है, तथापि, पीड़िताएँ बरामद हो चुकी हैं और उन्होंने धारा 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत अपने बयान में आवेदक के विरुद्ध कुछ नहीं कहा है, किन्तु, धारा 180 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज बयान में उन्होंने कहा है कि आवेदक ने उनकी स्वतंत्र सहमति से उनके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए थे तथा उपर्युक्त के दृष्टिगत, धारा 180 एवं 183 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत दर्ज उनके बयानों में महत्वपूर्ण विरोधाभास परिलक्षित होते हैं। आवेदक 07.04.2026 से कारागार में निरुद्ध है तथा उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों तथा अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुए तथा कारागारों में अत्यधिक भीड़ एवं विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिक वादों की भारी लंबित संख्या को ध्यान में रखते हुए, साथ ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कपिल वाधवान बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** में प्रतिवेदित, के निर्णय में निहित निर्देश तथा इस न्यायालय द्वारा **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2024 एससीसी ऑनलाइन आल 6765** में प्रतिवेदित, में प्रतिपादित जमानत संबंधी दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए तथा वाद के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा किए जाने का अधिकारी है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. आदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदक- **ऋषभ** को न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसके व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समराशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए—

(i) आवेदक प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, कोई प्रलोभन, धमकी अथवा वचन नहीं देगा जिससे वह न्यायालय अथवा पुलिस अधिकारी के समक्ष सत्य तथ्यों का प्रकटीकरण करने से विरत हो जाए अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक किसी स्थगन की मांग किए बिना विचारण/अन्वेषण में निष्ठा से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के पश्चात आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा तथा कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार न्यायालय में उपस्थित होगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत निरस्तीकरण का एक आधार होगा।
10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पूर्व संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक एवं जमानतदारों की पहचान, हैसियत तथा निवास संबंधी प्रमाणों का सत्यापन किया जाएगा। आवेदक एवं जमानतदारों के मोबाइल नंबर तथा आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा कराया जाएगा।
11. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने हेतु जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित कारागार को रिहाई आदेश प्रेषित करेगा।
12. कार्यालय को निर्देशित किया जाता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जमानत प्रदान किए जाने की नीतिगत रणनीति, *इन री: स्वप्रेरणा रिट याचिका (आपराधिक) सं. 4/2021*, 31.01.2023 को निर्णीत, (2024) 10 एस.सी.सी. 685 में प्रतिवेदित, के अनुपालन में इस आदेश की प्रति 24 घंटे के भीतर संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ई-मेल अथवा ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को प्रेषित की जाए।

(जितेन्द्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

05 जून, 2026

अभिषेक